फ़ाइल संख्या-15011/36/2022-न्याय/ई 6889
भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग

विषयः न्याय विभाग से संबंधित जून, 2023 माह का मासिक सार।

न्याय विभाग से संबंधित जून 2023 माह की महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्नलिखित हैं:-

1. **<u>अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2023</u>**:

विभाग ने 21 जून, 2023 को जैसलमेर हाउस, हेरिटेज बिल्डिंग स्थित अपने परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति के संबोधन को जैसलमेर हाउस के लोन में स्थापित स्क्रीन पर लाइव देखा गया। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के योग विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में सामान्य योग प्रोटोकॉल और विविध योग आसनों का सभी प्रतिभागियों द्वारा अभ्यास किया गया। विभाग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2023 में अपनी प्रतिभागिता के लिए न्यायपालिका के निकट संपर्क में भी था। भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश सहित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने उनके परिसर में आयोजित इस समारोह में पूरे दिल से हिस्सा लिया। अनेक उच्च न्यायालयों ने भी अपने परिसरों में यह समारोह संचालित किया जिनमें न्यायाधीशों, न्यायालय के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों, न्यायालय के पदाधिकारियों और कर्मचारियों तथा बार के सदस्यों ने भी विविध न्यायालय परिसरों में अपने-अपने स्थानों पर समारोह आयोजित किए।

2. **<u>ईकोर्ट मिशन मोड पर योजना चरण-।।</u>**

क) **राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड:** दिनांक 01-06-2023 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड पर 23.11 करोड़ से अधिक मामलों की स्थिति की सूचना और कंप्यूटरीकृत न्यायालयों से संबंधित 21.92 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों की जानकारी ली जा सकती है।

ख) **वर्चुअल कोर्ट:** 22 वर्चुअल कोर्टों द्वारा 3.11 करोड से अधिक मामलों की सुनवाई की गई और दिनांक 31.05.2023 तक 37 लाख से अधिक मामलों में 408 करोड़ रुपए से अधिक का ऑनलाइन जुर्माना वसूल किया गया।

ग) **जस्टिस ऐप:** न्यायिक अधिकारियों के लिए मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की कुल संख्या 31 मई, 2023 तक 18,950 हो गई।

घ) **ई-कोर्ट सर्विस मोबाइल ऐप:** ई कोर्ट सर्विस मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की कुल संख्या 31-05-2023 तक 1.84 करोड़ हो गई।

ड़) **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग**: दिनांक 31-05-2023 तक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग करके जिला और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा (लगभग 1.96 करोड़) और उच्च न्यायालयों द्वारा (78.6 लाख) अर्थात कुल 2.74 करोड़ मामलों की सुनवाई की गई। उच्चतम न्यायालय में दिनांक 31-05-2023 तक लगभग 4.83 लाख सुनवाई की गईं।

च) **ई सेवा केंद्र:** दिनांक 31-05-2023 तक, 25 उच्च न्यायालयों के अंतर्गत 815 ई-सेवा केंद्रों को कार्यात्मक बनाया गया है।

3. **टेली लॉ: वंचितों तक पहुंच:**

क) 30 जून, 2023 तक, 44,66,376 लाभार्थियों को कानूनी सलाह प्रदान की गई जिसमें जून, 2023 माह के दौरान के 3,71,892 लाभार्थी भी शामिल हैं।

ख) माह के दौरान, 7,172 व्यक्तियों ने ग्राम स्तर के उद्यमियों अर्थ विधिक स्वयंसेवकों, राज्य समन्वयकों और पैनल वकीलों द्वारा 140 जिलों में आयोजित 262 प्रशिक्षण और जागरूकता सत्रों/कैंपों में हिस्सा लिया।

4. न्याय बंधु (प्रो बोनो कानूनी सेवाएं) कार्यक्रमः

माह के दौरान, 114 नए प्रो बोनो वकीलों ने न्याय बंधु मोबाइल एप्लीकेशन/वेब पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण किया। अब तक कुल 10231 वकीलों (पुरुष- 8585, महिला- 1644, ट्रांसजेंडर-02) ने न्याय बंधु पोर्टल के तहत पंजीकरण किया है।

5. कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम:

क) "बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस" के अवसर पर, कानूनी जागरूकता वेबीनार श्रंखला के भाग के रूप में "भारत में बाल श्रम" पर राष्ट्रीय स्तर की एक वेबीनार 12 जून 2023 को आयोजित की गई थी जिसमें 25128 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय और बचपन बचाओ आंदोलन के प्रमुख वक्ताओं ने परस्पर वार्ता सत्र में भाग लिया।

ख) 18 जून, 2023 को, सिक्किम राज्य महिला आयोग, गंगटोक, सिक्किम द्वारा "बच्चे को गोद लेने के लिए कानूनी प्रक्रिया की समझ के संबंध में वार्ता शो" आयोजित किया गया। विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी,बाल कल्याण समिति और संसाधन अपनाने वाली राज्य एजेंसी के प्रतिनिधियों ने बच्चे को गोद लेने से संबंधित प्रक्रियाओं को स्पष्ट किया और वार्ता की। इस वार्ता शो को 52,000 द्वारा देखा गया।

6. <u>नालसा</u>: 19वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिवेशन (मीट) का उद्घाटन डॉ.डी.वाई. चंद्रचूड़, भारत के मुख्य न्यायाधीश और प्रमुख संरक्षक, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा 30 जून, 2023 को श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में किया गया था। 30 जून, 2023 और 1 जुलाई, 2023 को आयोजित इस दो दिवसीय समारोह का आयोजन जम्मू और कश्मीर विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन के दौरान देश में कानूनी सहायता कार्यक्रमों को सशक्त करने और इन कार्यक्रमों को सरल और कारगर बनाने के लिए,विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए भावी कार्यवाई योजना,लक्ष्य निर्धारण, विभिन्न चुनौतियों का निवारण और कार्यान्वयन पर चर्चा की गई थी।

7. <u>ईज ऑफ डूइंग बिजनेस</u>:

"ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" पहल के अंतर्गत न्याय विभाग द्वारा तैयार किए गए नियमों और फार्मों के सरलीकरण के लिए समिति की बैठक 9 जून 2023 को आयोजित हुई जिसकी अध्यक्षता सचिव (न्याय) द्वारा की गई। समिति ने वाणिज्यिक न्यायालयों में वाणिज्यिक विवादों के तुरत निपटान में सहायता करने के लिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 / 2018 के अध्यादेश को पूरा करने और उसे सशक्त करने के लिए प्ररूप वाणिज्यिक न्यायालय नियम तैयार किए। इन प्ररूप नियमों पर आवश्यक कार्रवाई करने और इनको अधिसूचित करने के लिए विधिक कार्य विभाग के पास भेजा गया था।

****